

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0

क्रमांक / स्थापना / 2025-26 / 1513

अम्बिकापुर दिनांक- 15.9.2025

:: सूचना ::

प्रति,

सम्माननीय अंशधारी सदस्य,

महानुभाव,

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. अम्बिकापुर की 70वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक दिनांक 30.09.2025 दिन मंगलवार समय 03.00 बजे से बैंक के प्रधान कार्यालय देवीगंज रोड अम्बिकापुर में होगी। निर्धारित समय में गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित कर उसी स्थान पर आधे घंटे के बाद बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी, जिसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त बैठक में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

एवं पदेन सचिव

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. अम्बिकापुर

विषय सूची -

- | | |
|------------------|--|
| विषय क्रमांक- 01 | वित्तीय वर्ष 2024-25 की स्थिति पर अंकेंक्षित वित्तीय पत्रक एवं लाभ हानि की स्थिति पर विचार। |
| विषय क्रमांक- 02 | वित्तीय वर्ष 2024-25 की स्थिति पर अंकेंक्षक से प्राप्त संपरीक्षा रिपोर्ट एवं शाखाओं/प्रधान कार्यालय के स्थिति का अवलोकन एवं अनुपालन पर विचार। |
| विषय क्रमांक- 03 | वित्तीय वर्ष 2024-25 के स्वीकृत बजट के विरुद्ध अधिक्य व्यय को स्वीकृत करने हेतु विचार। |
| विषय क्रमांक- 04 | वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित कार्य योजना पर विचार। |
| विषय क्रमांक- 05 | वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुमानित आय-व्यय बजट स्वीकृत करने बावत् विचार। |
| विषय क्रमांक- 06 | वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अधिकतम ऋण ग्रहण सीमा का निर्धारण करने बावत् विचार। |
| विषय क्रमांक- 07 | वर्ष 2024-25 के शुद्ध लाभ में से सांविधिक रिजर्व फंड एवं एग्रीकल्चर स्टेबलाइजेशन फंड में राशि स्थानांतरण हेतु विचार। |
| विषय क्रमांक- 08 | वित्तीय वर्ष 2024-25 के लाभ में से विभिन्न मदों में किये गये प्रावधान का अनुमोदन करने बावत् विचार। |
| विषय क्रमांक- 09 | क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर द्वारा अनुमोदित सी.ए. फर्म (पी.सी. बाफना एण्ड कम्पनी) की वार्षिक वैधानिक अंकेंक्षक वर्ष 2025-26 हेतु नियुक्ति पर अनुमोदन बावत् विचार। |
| विषय क्रमांक- 10 | अन्य विषय प्राधिकृत अधिकारी महोदय के अनुमति से। |

नोट :-

- (1) संस्था के अधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति हेतु सूचना की प्रति उपलब्ध करा पावती लेवें।
- (2) मुद्रण में त्रुटि होने पर बैंक के मूल प्रति की जानकारी मान्य होगी।
- (3) आमसभा सूचना की प्रति शाखा कार्यालय में चस्पा कराया जावें।